संख्या-3 /2017/ 1541 सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016

प्रेषक,

नरेश बहादुर ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** हेतु शक्कर विशेष निधि के अधीन प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान, आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय की मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-4** के अनुसार, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधिष्ठान व्यय, आवर्तक व्यय, अनावर्तक व्यय की मदों हेतु, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** के लिए, **संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार,** रु.1,182.92 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बयासी लाख बानबे हजार मात्र) को आहरित कर निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों /शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य व्यय/ मद का वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

6- आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

7- उ.प्र. शक्कर फैक्ट्रियाँ पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान, उ.प्र. के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान एवं उ.प्र. कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान से आहरित की जाने वाली धनराशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में अवश्य कर लिया जाये।

8- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि **रु.1,182.92 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बयासी लाख बानबे हजार मात्र) को** चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के लेखा शीर्ष-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ.प्र. गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे **रू.116.25 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख पच्चीस हजार मात्र),** अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के लेखा शीर्ष-**''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-03-उ.प्र. शक्कर फैक्ट्रियाँ पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ.प्र. शक्कर विशेष**

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे **रू.400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र)**, अनुदान संख्या-24 (राजस्व लेखा) के लेखा शीर्ष- **''2852- उद्योग- 08- उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-04-उ.प्र. के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के **नामे रू.500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र)** तथा अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के लेखाशीर्ष- **''2852-उद्योग-08- उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-05-उ.प्र. कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे **रू.166.67 लाख (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** डाला जायेगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या- 3 /2017/ 1541(1)सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ. प्र. शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
6- निदेशक, उ. प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 3 /2017/1541 सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016,दिनांक 31 जुलाई, 2017

का संलग्नक

(वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह हेतु)

अ - अधिष्ठान व्यय:- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0सँ0	मद का नाम	प्रथम पांच माह हेतु स्वीकृत धनराशि
1	वेतन	790.00
2	महंगाई भत्ता	48.00
3	अन्य भत्ते	45.00
4	यात्रा भत्ता	12.00
5	पेंशनरी अवकाश अंशदान	5.00
6	अंशदायी पेंशन अंशदान	5.00
7	मानदेय	1.00
8	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना (गन्ना) अंशदान	7.00
9	सेवा निवृत्ति अवकाश, नकदीकरण/ग्रेच्युटी	26.00
10	पारिश्रमिक का भुगतान	12.00
11	पेंशन भुगतान हेतु प्राविधान	100.00
	योग-	**1,051.00**

ब -आवर्तक व्यय:-

1	विद्युत व्यय	58.00
2	प्रयोगशाला आपरेशन	15.00
3	**कृषक** गोष्ठी \ प्रशिक्षण	----
	योग	**73.00**

स- अनावर्तक व्यय:-

1	आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत	---
2	उपकरण, कृषि यंत्र एवं शोध जर्नल्स आदि	27.92
3	केन्द्रीय प्रयोगशाला	----
4	सेन्टर फार शुगरकेन बायोटेक्नोलोजी एवं चीनी उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में क्यू. टी. एल. विश्लेषण तथा जीन मैंपिंग हेतु	4.00
5	गन्ना उपज एवं चीनी परता में वृद्धि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों के स्तर का प्रबन्धन	2.00
6	गोरखपुर केन्द्र का स्थानान्तरण/ स्थापना व्यय हेतु	25.00
	योग	**58.92**
	महायोग (अ + ब + स)	**1,182.92**

(रूपये ग्यारह करोड़ बयासी लाख बानबे हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in